पत्र सं०–6 एस०एस०(6)03 / 2022– 1495

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक– 27 / 03 / 2025.

विषय : बिहार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत "प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) की योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 156.45 लाख (एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार) लागत की योजना की प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त बिहार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत "प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) की योजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 156.45 लाख (एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार) लागत की योजना की प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न है।

2. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) की योजना की प्रशासनिक एवं PFMS-Linked SNA प्रणाली के माध्यम से व्यय किए जाने की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–6 एस०एस०(06) 03 / 2022–1097, दिनांक–25.03.2022, आदेशांक संख्या–म० / प्र०म०सं०यो०–03 / 2021–1002, दिनांक–12.05.2022, आदेशांक संख्या–6 एस०एस०(06)03 / 2022–1221, दिनांक 15.04.2024 तथा विभागीय राज्यादेश संख्या–6 एस०एस०(06)03 / 2022–4519, दिनांक 30.09.2024 द्वारा प्रदान की गई। उक्त के आलोक में PFMS-Linked SNA प्रणाली के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2024–25 के मार्च, 2025 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सम्बद्ध PFMS-Linked SNA प्रणाली के स्थान पर PFMS-Linked SNA SPARSH प्रणाली प्रभावी रूप से लागू किये जाने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केन्द्र–क्षेत्र की योजना अवयव के तहत प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses-including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) हेतु पत्र सं० j-01013/33/2021-Fy, दिनांक–18 मार्च, 2025 के माध्यम से शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता पर कुल ₹156.45 लाख व्यय हेतु केन्द्रांश लिमिट राशि C-SNA (अर्थात–राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद) प्रणाली में विमुक्त की गई है।

4. योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses-including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) हेतु C-SNA (अर्थात–राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद) प्रणाली में विमुक्त केन्द्रांश लिमिट राशि का व्यय केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पत्र सं० 117012-3/2020-Fy, दिनांक–06 नवम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशो के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

5. राज्य में कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जायेगा।

6. फंडिंग पैटर्न (Funding Pattern) –

योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses-including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) पर होने वाले व्यय का शत–प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार के द्वारा C-SNA (अर्थात–राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद) प्रणाली में विमुक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता लिमिट राशि से किया जाएगा।

7. योजना क्रियान्वयन के मुख्य बिन्दु –

   i. केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के सफल क्रियान्वयन, अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यय–एस०पी०यु० एवं डी०पी०यु० की व्यवस्था एवं संचालन सहित (Administrative Expenses-including the expenses towards setting & operation of State Programme Unit & District Programme Units) पर व्यय हेतु शत् प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में कुल ₹ 156.45 लाख (एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार) केन्द्रांश राशि C-SNA (अर्थात–राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद) प्रणाली में विमुक्त की गयी है।

   ii. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु विमुक्त लिमिट राशि का व्यय/भुगतान तथा प्रबंधन PFMS में C-SNA प्रणाली के माध्यम से किया जायेगा तथा इसके लिए EAT (Expenditure, Advance & Transfer) प्रणाली व्यवहार करने की आवश्यकता नही होगी।

iii. केन्द्र सरकार के मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पत्र सं० j-01013/33/2021-Fy, दिनांक–18 मार्च, 2025 के कंडिका–11 के अनुसार योजनान्तर्गत व्यय हेतु विमुक्त लिमिट राशि का भुगतान अर्थात "Payment is to be effected through Electronics Clearing Services (ECS)/Real Time Gross Settlement (RTGS) to the Savings Account (C-SNA account) No. 922010057427962 of National Fisheries Development Board (NFDB) maintained in the Axis Bank, Attapur, Hyderabad, (IFSC Code No. UTIB0004826)".

iv. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त वर्णित पत्र के कंडिका–14 के अनुसार "Child Agencies of C-SNA are required to use C-SNA Account only for making payments (upto the drawing limit assigned) and there is no concept of opening Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA). In no case/circumstances, child agencies can transfer funds to any other account and park them there. They have to mandatory make payments using C-SNA Account up their assigned drawing limit".

v. इस योजना के तहत विमुक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता राशि में से ₹ 28.80 लाख (अट्ठाईस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) State Programme Unit (SPU) एवं ₹ 59.40 लाख (उनसठ लाख चालीस हजार रूपये मात्र) District Programme Unit (DPU) तथा शेष ₹ 68.25 लाख (अड़सठ लाख पच्चीस हजार) अन्य गतिविधियाँ यथा–SPU/DPU हेतु उपस्कर, Computer/Laptop etc. का क्रय, IEC सामग्री, Electronic and Print media के माध्यम से योजना का प्रचार–प्रसार, सेमिनार/कार्यशाला/कॉन्फ्रेंस/बैठक (regional, national, international, official meeting including fish farmers & fisheries cooperative meets etc.) आदि का आयोजन, भाड़े की गाड़ी के किराये का भुगतान, कार्यान्वित योजना का त्रितीय/स्वतंत्र एजेन्सी/domain experts से मूल्यांकन, सम्पदा योजना के SOP/Guidelines का प्रकाशन, राज्य के पाँच वर्षीय Prospective/Annual/District plan की तैयारी एवं प्रकाशन, विश्व मात्स्यिकी/मछुआ दिवस का आयोजन, institutionalizing an award including award for best performing fishers, fish workers, fish vendors and fisheries entrepreneurs etc. आदि पर आवश्यकतानुसार व्यय किया जाएगा।

vi. मत्स्य निदेशालय स्तर पर State Programme Unit (SPU) एवं राज्य के 5 (पाँच) चयनित potential जिलों (सिवान, मधेपुरा, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर) में जिला स्तर पर District Programme Unit (DPU) का गठन, संचालन तथा अन्य गतिविधियों पर होने वाले व्यय की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न है।

vii. इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जायेगा।

8. इस योजना के तहत् SPU/DPU तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित चयनित एजेन्सी/आपूर्तिकर्ताओं/आदि को राशि का भुगतान उनके बैंक खाता में C-SNA प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

9. इस योजना के तहत् निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययंन पदाधिकारी तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। साथ ही, केन्द्र सरकार के उपर्युक्त वर्णित पत्र के कंडिका–18 के अनुसार "The State Government shall submit Utilization Certificate

(UC) on PFMS. Manual Utilization Certificate (UC) are not acceptable by the Programme Division (PD)".

10. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन से निदेशक मत्स्य आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत कर सकेंगे।
11. चूँकि यह एक चालू योजना है। अतएव वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03/2022 के पृष्ठ–68/टि० एवं दिनांक–27.03.2025.
12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं। संचिका संख्या 6 एस०एस०(6)03/2022 के पृष्ठ–68/टि० तथा डायरी संख्या–136, दिनांक–26.03.2025.
13. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(गीता सिन्हा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2022–1495 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2022–1495 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03/2022–1495 /पटना–15, दिनांक– 27/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03 / 2022– 1495 /पटना–15, दिनांक– 27 / 03 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित अवर सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, कमरा संख्या–221, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03 / 2022– 1495 /पटना–15, दिनांक– 27 / 03 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03 / 2022– 1495 /पटना–15, दिनांक– 27 / 03 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :–6 एस०एस०(6)03 / 2022– 1495 /पटना–15, दिनांक– 27 / 03 / 2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

क्र.	योजना	केन्द्र सरकार द्वारा C-SNA में विमुक्त लिमिट राशि (लाख में)			व्यय हेतु स्वीकृत लिमिट राशि (लाख में)			निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
		SPU & DPU	अन्य गतिविधि	कुल	SPU/DPU	अन्य गतिविधि	कुल	
1	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय	88.20	68.25	156.45	88.20	68.25	156.45	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।
योग		**88.20**	**68.25**	**156.45**	**88.20**	**68.25**	**156.45**	

(एक करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)

27/3/25

सरकार के अपर सचिव

1495
27/03/2025

अनुलग्नक–II

Details of the componentwise funds released in C-SNA towards Administrative Expenses including the expenses towards setting & operartion of State Programme Unit & District Programme Units to the Government of Bihar under the Central Sector Scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

---

1. Establishment of State Programme Unit (SPU) **(Amount in Lakh)**

Sr. No.	Designation	No. of Posts	Remuneration per month	Total expenditure per annum	Sanctioned & released limit amount for expenditure
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
i.	State Program Manager (SPM)	1	0.70	8.40	12.60
ii.	State Data cum MIS Manager	1	0.50	6.00	9.00
iii.	Multi Tasking Staff (MTS)	1	0.15	1.80	2.70
iv.	Office and administrative expenses	Lump sum	0.25	3.00	4.50
			Total (1)	**19.20**	**28.80**

2. Establishment of District Programme Unit (DPUs) **(Amount in Lakh)**

Sr. No.	Designation	Potential District	No. of Posts	Remuneration per month	Total expenditure per annum	Sanctioned & released limit amount for expenditure
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
i.	District Program Manager (DPM)	6	6	0.45	32.40	48.60
ii.	Office and administrative expenses		6	0.10	7.20	10.80
				Total (2)	**39.60**	**59.40**

1495
27/03/2025

3. Other Activities **(Amount in Lakh)**

Sr. No.	Activities/Sub Activity	Unit cost Expenses	Lumpsum one time grant/grant per year	Sanctioned & released limit amount for expenditure
i.	Procuring of furniture / fixtures, computers / laptops, printers, software etc.	3.00	3.00 (Lumpsum one-time grant)	1.50
ii.	Preparation of required MIS along with necessary hardware/software and its operation	4.00	4.00 (Consolidated one-time grant)	2.00
iii.	Hiring of Vehicles	5.00	5.00 (Lumpsum grant/year)	7.50
iv.	Information Education Communication (IEC) activities and for preparation of IEC material including electronic and print materials.	4.00	4.00 (Lumpsum grant/year)	6.00
v.	Publicity and promotional activities for PMMSY through electronic, social and print media etc.	5.00	5.00 (Lumpsum grant/year)	7.50
vi.	Organizing seminars, workshops, meets, summits/conferences (regional, national and International), official meetings, including fish farmers and fisheries cooperative meets, etc.	5.00	5.00 (Lumpsum grant/year)	7.50
vii.	Design and printing of guidelines, publications, SOPs and other documents related to PMMSY as necessary.	2.50	2.50 (Lumpsum grant/year)	3.75
viii.	Periodic evaluation (mid-term) whenever required and post implementation evaluation (end-term) of PMMSY through third party/independent agency/individual domain experts etc.	5.00	5.00 (Lumpsum grant/year)	7.50
ix.	Activities to support quality control and regulation of the fisheries sector aimed at enhancing quality, production and productivity.	5.00	5.00 (Lumpsum grant/year)	2.50
x.	Preparation of vision Document, Annual Plan and assisting the States/UTs for preparation of their 5 year prospective plan, annual plans, District Fisheries Plans etc.	10.00	5.00 (Lumpsum grant/year)	7.50
xi.	Organizing events such as Fish Farmers Day, World Fisheries Day and other events as per the needs, institutionalizing an award including awards for Best Performing States/UTs, Fishers, fish farmers, fish workers, fish vendors and fisheries entrepreneurs etc.	10.00	10.00 (Lumpsum grant/year)	15.00
		Total (3)	**53.50**	**68.25**
		Grand Total Administrative Expenses under PMMSY 2021-22 (1+2+3)	**112.30**	**156.45**

सरकार के अपर सचिव